

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या-क0नि0-2- 939 / ग्राह-७(81) / ९१-उ०प्र०अधि०-३०-२००७-आदेश-(62)-२०१०  
लखनऊःदिनांकः २४ जून, 2010

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 29 जून, 2010 से प्राकृतिक गैस की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की धनराशि की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, इस शर्त के अध्यधीन छूट प्रदान करते हैं कि छूट की धनराशि उद्ग्रहीत प्रवेश कर की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से,  
( दुग्धशकर मिश्र )  
प्रमुख सचिव।